

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

“वित्तभवन” जनपथ, जयपुर-302015

(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309, ईमेल : jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवानिवृत्त/कनि0 लेखाकार/अलेसे-III/2023/ 1149

दिनांक:- 21-12-2023

आदेश संख्या 81/2023-24

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प1(6)वित्त/नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अन्तर्गत निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकार को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 5 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से (मध्याह्न पश्चात) राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

क्र. सं.	लिंग नम्बर	प्रथम नियुक्ति का मेरिट/बैच	क0 लेखाकार (सर्वश्री)	जन्मतिथि	सेवानिवृत्ति तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	2434	493/1990	मुकेश चन्द गुप्ता	01.05.1964	30.04.2024	न्यायिक प्रकरण लंबित हैं। 16 सीसीए के तहत जांच कार्यवाही लंबित है।
2	5856	25/1992R	सांवर मल मील	25.05.1964	31.05.2024	-----
3	3243	27/1992SP	नरसिंह राम	02.07.1964	31.07.2024	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित प्रकरण न्यायालय में लम्बित है।
4	1830	545/1988	रवीन्द्र कुमार	28.08.1964	31.08.2024	-----
5	9809	519/1994	महेश कुमार द्विवेदी	01.10.1964	30.09.2024	-----
6	5685	DGS	लाल बहादुर मित्तल	11.01.1965	31.01.2025	-----
7	4849	193/88	महावीर प्रसाद	22.01.1965	31.01.2025	न्यायिक प्रकरण लंबित हैं।

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र क्रमांकप.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में क्र.सं. 01, 03, एवं 07 को छोड़कर यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित कनिष्ठ लेखाकार के विरुद्ध आज तक:-

- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अन्तर्गत कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अन्तर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

उपरोक्त अंकित कनिष्ठ लेखाकारों में से, राजकीय आवास में अधिवासित कार्मिकों के मामलों में आवंटि की सेवानिवृत्ति से दो माह के भीतर ही राजकीय आवास को रिक्त करना अनिवार्य है।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.4(ई)सेवानिवृत्त/कनि0 लेखाकार/अलेसे-III/2023/ 1149

दिनांक:- 21-12-2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
- संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
- सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षको प्रेषित कर लेख है कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित/प्रस्तावित हो अथवा ऐसी स्थिति हो जो पेंशन को प्रभावित करती हो तो अविलम्ब इसकी सूचना सम्बन्धित पेंशन कार्यालय तथा इस विभाग को भिजवावे ताकि उचित कार्यवाही की जा सके।
- निजी सचिव, निदेशक।
- उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- सम्बन्धित कनि0 लेखाकारों को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
- अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I/कार्मिक-II/कार्मिक-III) कार्यालय हाजा।
- डीपीसी अनुभाग/जांच अनुभाग/कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
- रक्षित/निजी पत्रावली।


(कै.जी.गुप्ता)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)